कार्यालय अंचल अधिकारी,गाण्डेय गिरिडीह।

वासुदेव सिंह एवं महाराज सिंह

अभिलेख संख्या— 03 / 2020—21

अभिलेख का प्रकार— विविध वाद

बनाम

कुर्बान मियाँ एवं अन्य।

आदेश — फलक

31-12-2020 अभिलेख उपस्थापित। आवेदक बासुदेव सिंह,महराज सिंह,पिता—स्व0 गोन्दो सिंह ग्राम—महेशमुण्डा, के द्वारा थाना—गाण्डेय, अंचल—गाण्डेय, खाता सं0 55, प्लौट स0 501, रकवा 0.34ए0 प्लौट संख्या 642 रकवा 0.08ए0 एवं प्लौट नं0 643, रकवा 0.04ए0 एवं प्लौट सं0 667,रकवा 0.11ए0 भूमि पर गलत एवं जबरदस्ती जमीन के झगडा करने के संबंध में आवेदन दिया गया है।

आवेदन के आलोक में हल्का राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। राजस्व उप निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक एवं अन्य को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने हेतु सभी राजस्व कागजातो के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अभिलेख पंजीकृत के पश्चात विभिन्न तिथियों को सुनवाई की गई एवं राजस्व कागजातों को उभय पक्षों को अपने—अपने समर्थन में राजस्व कागजात प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। आवेदकगण द्वारा विभिन्न तिथियों को अपना—अपना पक्ष रखा तथा राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

हल्का राजस्व उप निरीक्षक ने जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा—महेशमुण्डा ,थाना नं0 341,खाता स0 55, प्लौट स0 501,642,643 एवं 667 रकवा कमशः 0.34डी,0.08डी0,0.04डी0 एवं 0.11डी0 कुल रकवा 0.57डी0 संलग्न खतियान की छायाप्रति में दर्ज अनुसार बकास्त,खाता की भूमि है। उक्त भूमि के जमाबंदी उपलब्ध पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 115/1 पर अमल कुमारी, पति—गोन्दो सिंह आवेदकगण की मॉ के नाम से दर्ज है।

राजस्व उप निरीक्षक ने अपने जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि पर उभयपक्षो में जोत आवाद को ले कर विवाद है। विवादित भूमि का अंश भाग परती के रूप में पाया गया।

अतः राजस्व उप निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संधारित कागजातो के आवलोकन से स्पस्ट है कि एक ही भूमि पर उभय पक्षों के द्वारा दावा किया जा रहा है । एक ही भू—खण्ड पर उभय पक्षो के दावा करना स्वत्व से संबंधित ममला प्रतीत होता है। स्वत्व निर्धारण करना अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। उभय पक्ष स्वत्व निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में मामला दायर कर सकते है। अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं सत्यापित।

अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।

अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।